राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3077 / 2022

मंयक पण्डया

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान, जयपुर।
3. अति.निदेशक, (प्रशा.) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री मुकेश चन्द, नर्सिंग अधिकारी, सीएचसी, जिला डूंगरपुर (वर्तमान में कार्यरत एम.बी. अस्पताल, उदयपुर)

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री कमलकांत शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी नर्सिंग अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 01.08.2022 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/ पदस्थापन पीएचसी, छींछ, बांसवाडा से सीएचसी, रामगढ, जिला डूंगरपुर में किया गया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया है, परन्तु पंचायतीराज विभाग की सहमति नहीं ली गयी है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायतीराज (अन्तरित कियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के विरूद्ध है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी को संमजित करने के उद्देश्य से किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 18 महिने की

अवधि के पश्चात ही किया गया है, जो विधि के विरूद्ध है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 01.08.2022 को अपास्त किया जावें।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
5. जहां तक अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि उसका स्थानान्तरण 18 महिने बाद किया गया है। अभिलेख से स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित मे पारित किया गया है। ऐसे में इस आधार पर कि उसका स्थानान्तरण 18 महिने बाद किया गया है, अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को अवैध नहीं माना जा सकता।
6. उनका यह तर्क कि निजी प्रत्यर्थी को अनुचित लाभ पहुचानें के लिए आलोच्य स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि निजी प्रत्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है।
7. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि आलोच्य आदेश राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम 2011 के नियम 8(iii) के नियमों के उल्लंघन में है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा मंत्री मंडल सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांकः प. 11(1)मं.मं./2018 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा सरकार ने विभागों का विस्तार व वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्रियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा विभाग का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के अनुसार चूंकि स्वीकृति/सहमति पंचायती राज विभाग से ली जानी होती है, ऐसे में जब पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा विभाग का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा मंत्री के पास ही है, तो प्रथम दृष्टया राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश

पारित किये जाने में किसी प्रकार की नियम एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

9. आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)